भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1380
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार केन्द्रों को व्यापार विकास केन्द्रों में परिवर्तित करना

1380. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का रोजगार केन्द्रों को व्यापार विकास केन्द्रों में परिवर्तित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का उक्त प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से वित्तीय सहयोग के लिए अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए मंत्रालय, रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना, इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा के राष्ट्रीय करियर सेवा में रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ये सेवाएं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, यह टोल-फ्री कॉल-सेंटर/हेल्प-डेस्क द्वारा समर्थित है।

एनसीएस परियोजना, में रोजगार संबंधी सेवाएं वितरित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों और संस्थानों के सहयोग से आदर्श कैरियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करना शामिल है। एमसीसी रोजगार मेलों का आयोजन, नियोक्ताओं को जुटाने, करियर परामर्श देने आदि का कार्य भी करते हैं। मंत्रालय आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को एक बारगी अनुदान-सहायता प्रदान करता है।

एनसीएस परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ भी आपस में जोड़ा गया है। इस घटक के तहत, मंत्रालय राज्य सरकारों को रोजगार मेले आयोजित करने, सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन और मौजूदा रोजगार कार्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है।

सरकार राज्य सरकारों से आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना तथा एनसीएस परियोजना के तहत रोजगार कार्यालय को आपस में जोड़ने के लिए वित्तीय प्रस्तावों की मांग करती है। उक्त प्रस्तावों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सहित राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न हैं (अनुबंध)।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 19-09-2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1380 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना के लिए जारी अनुदान-सहायता	रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए जारी की गई अनुदान-सहायता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.11	2.00
2	आंध्र प्रदेश	216.21	152.00
3	अरुणाचल प्रदेश	21.18	-
4	असम	175.56	464.00
5	बिहार	227.83	645.00
6	छत्तीसगढ़	147.68	416.00
7	दमन और दीव	-	7.04
8	दिल्ली	24.47	-
9	गोवा	11	-
10	गुजरात	168.35	406.00
11	हरियाणा	45.41	267.87
12	हिमाचल प्रदेश	35.06	80.87
13	जम्मू और कश्मीर	131.7	200.00
14	झारखंड	134.84	274.00
15	कर्नाटक	193.35	336.00
16	केरल	89.57	-
17	लक्षद्वीप	10.65	-
18	मध्य प्रदेश	314.76	602.00
19	महाराष्ट्र	81.56	359.95
20	मेघालय	56.09	-
21	मिजोरम	37.56	-
22	नागालैंड	53.81	95.00
23	ओडिशा	188.28	291.00
24	पुडुचेरी	52.2	16.21
25	पंजाब	70.72	84.00
26	राजस्थान	356.64	272.00
27	सिक्किम	67.7	-
28	तमिलनाडु	260.21	560.00
29	तेलंगाना	202.72	350.00
30	त्रिपुरा	70.09	39.00
31	उत्तर प्रदेश	458.23	629.37
32	उत्तराखंड	96.01	112.00
33	पश्चिम बंगाल	254.08	140.00

टिप्पणीः राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित जारी की गई अनुदान-सहायता